



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1942 (श10)
(सं0 पटना 221) पटना, सोमवार, 30 मार्च 2020

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

30 मार्च 2020

अधिसूचना संख्या-03/2020 -राज्य कर (दर)

एस0 ओ0 98 दिनांक 30 मार्च 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं. 1/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक में, संख्या-544 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I -2.5% में, कम सं0 187 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख. अनुसूची II -6% में, -

(i) कम सं. 75 और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित कम सं. और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जायेगा यथा:-

" 75 अ	3605 00 10	सभी माल";
--------	------------	-----------

(ii) कम सं. 202 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) कम सं. 203 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ग. अनुसूची III -9% में,-

(i) कम सं. 73 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) कम सं. 379 में, कॉलम (3), की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सभी माल" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2020 से लागू होगी।

[(सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-8)—03]

बिहार -राज्यपाल के आदेश से,
डा0 प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 मार्च 2020

एस0 ओ0 98, दिनांक 30 मार्च 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं0सं0 बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-8)—03]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा0 प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th March 2020

Notification No. 03/2020- State Tax (Rate)

S.O. 98, Dated 30th March 2020— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 544, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in Schedule I – 2.5%, serial number 187 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) in Schedule II - 6%,-
 - (i) after serial number 75 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :-

“75A.	3605 00 10	All goods”;
-------	------------	-------------
 - (ii) serial numbers 202 and 203 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (c) in Schedule III - 9%,-
 - (i) serial number 73 and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (ii) in serial number 379, for the entry in column (3), the entry “All goods” shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2020..

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8)- 03)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 221-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>